

आदेश

उपरोक्त विषयान्तर्गत "कोरोना वायरस" (COVID-19) को महामारी घोषित किये जाने की स्थिति में इनहिं एवं मानव जीवन की सुरक्षा/व्यवाय/रोकथाम की दृष्टि से गृह (गुप्त-9)विभाग के आदेश क्रमांक ४.३३(२)गृह-९/2019 दिनांक 22.03.2020 के क्रम में वित्त विभाग ये अधीन विभागों के कार्यालयों में दिनांक 31.03.2020 तक राजकार्य सम्पादित करने हेतु निम्नान्वित कार्यालयों को खोले जाने वा निर्णय लिया है :-

1. वित्त (बजट) विभाग के अधीन विभाग
निवेशालय, पेंशन विभाग

2. वित्त (राजस्य) विभाग के अधीन विभाग

1. धारणियक कार विभाग एवं इसके अधीनस्थ "रेवेन्यू कलेक्शन" से संबंधित कार्यालय
2. आवश्यक आयुक्त कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय
3. RSGSM व अन्य डिस्ट्रिक्ट जो कि हेड सेनिटाइजर वा कार्य करेगी
4. ICRS व इसके अधीनस्थ कार्यालय
5. निवेशक कोष एवं लेखा (DTA)व उप कोचालय (Sub Treasuries)
6. परिवहन विभाग व इसके अधीनस्थ "रेवेन्यू कलेक्शन" से संबंधित कार्यालय
7. Department of Mining जो "रेवेन्यू कलेक्शन" से संबंधित है
8. RSBCL व इसके अधीनस्थ कार्यालय

उपरोक्त सभी विभागों के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय के अलांका उनके अधीनस्थ जो कार्यालय राजस्य से सीधे संबंधित हैं, केवल वे ही कार्यालय खोलें जावें। उनमें भी आवश्यकतानुसार सीमित स्टाफ को ही उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3. वित्त (व्यवस्था) विभाग के अधीन विभाग

1. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एवं निरीक्षण का मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का समस्त स्टाफ Work from Home की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
2. राज्य यीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग के संबंध में कोष कार्यालय में वेतन विल वी जॉच का कार्य सुधार तरीके से सम्पन्न किये जाने हेतु समुचित निर्णय लेने के लिए निवेशक, यीमा व्यवस्था करेंगे एवं समस्त स्टाफ की Work from Home की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे।

अन्य विभागों द्वारा राजकार्य सम्पादित करने के लिए उनके अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार कार्यालय आने हेतु अपने स्तर पर निर्देशित किया जा सकेगा। सभी अधिकारी/कर्मचारी टेलीफोन/मोबाइल पर हर समय अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

इस दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।



(निरंजन चतुर्वेदी)
आलोकित मुख्य सचिव, वित्त